कृष्ण कान्त कपासिया [Subject: Political Science] [I.F. 8.921]
International Journal of Research in Humanities & Soc. Sciences
Vol. 14, Issue 07, July: 2026
ISSN(P) 2347-5404 ISSN(O)2320 771X

भारतीय चुनावों में राजनीतिक वित्तपोषण की पारदर्शिता: चुनौतियाँ एवं सुधार की संभावनाएँ

कृष्ण कान्त कपासिया
शोधार्थी— राजनीति विज्ञान,
दिगंबर जैन कॉलेज, बड़ौत, बागपत (उत्तर प्रदेश)

शोध सार— भारत विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में प्रत्येक चुनावी चक्र में अरबों रुपये के व्यय का साक्षी बनता है, किंतु इस विशाल धनराशि के स्रोत आज भी अत्यंत अपारदर्शी बने हुए हैं। राजनीतिक दलों की आय का बड़ा भाग अज्ञात स्रोतों से प्राप्त होता है, जिससे नागरिकों के सूचना के अधिकार और लोकतांत्रिक जवाबदेही पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े होते हैं। यह शोध पत्र भारत में राजनीतिक वित्तपोषण की पारदर्शिता से जुड़ी संरचनात्मक, विधिक एवं संस्थागत चुनौतियों का विश्लेषण करता है, जिसमें विशेष रूप से 2018 में प्रारंभ की गई चुनावी बॉन्ड योजना और फरवरी 2024 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे असंवैधानिक घोषित किए जाने के निर्णय पर केंद्रित चर्चा शामिल है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) के वर्षवार आंकड़ों, विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट तथा इंटरनेशनल IDEA के तुलनात्मक वैश्विक आंकड़ों के आधार पर यह अध्ययन दर्शाता है कि विनियामक सुधारों के बावजूद अपारदर्शिता की समस्या क्यों बनी हुई है। अंत में, राज्य वित्तपोषण, राष्ट्रीय चुनावी न्यास, सूचना के अधिकार अधिनियम का दलों पर विस्तार, तथा वास्तविक समय में डिजिटल प्रकटीकरण जैसे संभावित सुधारों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

मुख्य शब्द— *चुनावी बॉन्ड, राजनीतिक वित्तपोषण, पारदर्शिता, भारत निर्वाचन आयोग, राज्य वित्तपोषण, ADR, विधि आयोग*

परिचय

लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि जनप्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं और उनके निर्वाचन की प्रक्रिया में धन की भूमिका कितनी पारदर्शी है। भारत में प्रत्येक आम चुनाव के साथ प्रचार व्यय में निरंतर वृद्धि देखी गई है, और सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़ के अनुमानों के अनुसार 2014 के लोकसभा चुनाव में लगभग तीस हजार करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान लगाया गया था, जो निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीकृत आधिकारिक व्यय सीमा से कहीं अधिक था। इतने बड़े पैमाने पर होने वाले व्यय का स्रोत जब तक सार्वजनिक जांच के दायरे में नहीं आता, तब तक मतदाता यह जानने में असमर्थ रहते हैं कि किन आर्थिक शक्तियों का प्रभाव नीति निर्माण की दिशा तय कर रहा है।

भारतीय राजनीतिक वित्तपोषण की व्यवस्था ऐतिहासिक रूप से नकद चंदे, कॉर्पोरेट अंशदान और सीमित प्रकटीकरण दायित्वों पर आधारित रही है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत बीस हजार रुपये से अधिक के किसी भी दान का विवरण देना अनिवार्य है, किंतु इससे कम राशि के दान गुमनाम रह सकते हैं। इसी प्रावधान का लाभ उठाते हुए राजनीतिक दल अपनी आय का बड़ा भाग छोटी-छोटी अज्ञात राशियों में विभाजित कर घोषित करते रहे हैं, जिससे वास्तविक दानदाताओं की पहचान अस्पष्ट बनी रहती है।

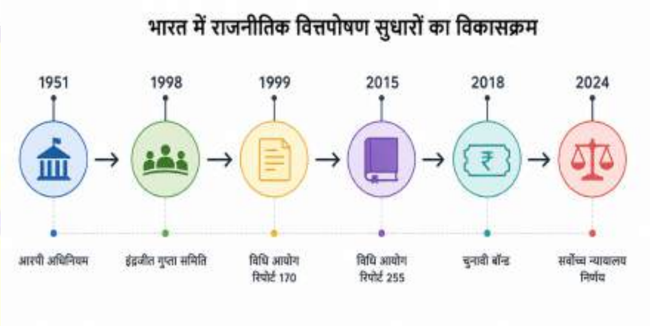

चित्र 1: भारत में राजनीतिक वित्तपोषण सुधारों का विकासक्रम

इस संदर्भ में 2017 के वित्त विधेयक के माध्यम से प्रस्तुत की गई चुनावी बॉन्ड योजना ने पारदर्शिता की बहस को नया आयाम दिया। सरकार का तर्क था कि यह योजना नकद चंदे को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में लाकर काले धन पर अंकुश लगाएगी, जबकि आलोचकों का मानना था कि दानदाता की गुमनामी को कानूनी संरक्षण देकर यह योजना पारदर्शिता को और अधिक कमजोर करेगी। फरवरी 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस योजना को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के अंतर्गत सूचना के अधिकार का उल्लंघन मानते हुए असंवैधानिक घोषित कर दिया, जो भारतीय चुनावी न्यायशास्त्र में एक ऐतिहासिक मोड़ है।

इस शोध पत्र का उद्देश्य भारत में राजनीतिक वित्तपोषण की पारदर्शिता से संबंधित विधिक ढांचे, अनुभवजन्य साक्ष्यों और सुधार प्रस्तावों की समग्र समीक्षा प्रस्तुत करना है। अध्ययन में यह विश्लेषण किया गया है कि चुनावी बॉन्ड योजना की समाप्ति के बाद भी राजनीतिक दलों की आय के अज्ञात स्रोतों की समस्या क्यों बनी हुई है, और किन संस्थागत तथा विधिक सुधारों के माध्यम से इस अंतराल को पाटा जा सकता है।

साहित्य समीक्षा

राजनीतिक वित्तपोषण की पारदर्शिता पर विगत कुछ वर्षों में विशेष रूप से चुनावी बॉन्ड योजना के संदर्भ में पर्याप्त शोध कार्य हुआ है। जॉर्ज ने अपने अध्ययन में यह स्पष्ट किया कि चुनावी बॉन्ड योजना के अंतर्गत 2018 से 2022 के मध्य लगभग दो अरब डॉलर मूल्य के बॉन्ड जारी

© 2026. This article is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

Vol. 14, Issue 07, July: 2026
ISSN(P) 2347-5404 ISSN(O)2320 771X

किए गए, जिनमें से सत्तर प्रतिशत के लगभग सत्तारूढ़ दल को प्राप्त हुए, और सर्वोच्च न्यायालय की एकमत पीठ ने इसे नागरिकों के दानदाताओं के स्रोत जानने के अधिकार के विरुद्ध पाया।

आईओएसआर जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस में प्रकाशित एक विस्तृत विधिक एवं राजनीतिक अर्थशास्त्रीय विश्लेषण में यह तर्क दिया गया है कि पारदर्शिता-केंद्रित संवैधानिक ढांचे के भीतर ही राजनीतिक वित्त विनियमन को क्रियान्वित किया जाना चाहिए, अन्यथा गुमनामी को प्राथमिकता देने वाले सुधार लोकतांत्रिक अखंडता को ही कमजोर करने का जोखिम उत्पन्न करते हैं।

श्रीवास्तव और चड्ढा के अध्ययन में कॉर्पोरेट दान और शासन के मध्य संबंधों की पड़ताल की गई है, जिसमें यह प्रश्न उठाया गया कि क्या चुनावी बॉन्ड के माध्यम से किए गए कॉर्पोरेट अंशदान नीति निर्माण को प्रभावित करते हैं, तथा घाटे में चल रही कंपनियों द्वारा किए गए दान क्रोनी पूंजीवाद की आशंकाओं को जन्म देते हैं।

सीएमआर स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज़ की जर्नल में प्रकाशित शोध पत्र में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम में किए गए संशोधनों का विश्लेषण करते हुए यह दर्शाया गया है कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से जुड़ी कंपनियों को भी विदेशी स्रोत की परिभाषा से बाहर रखे जाने से पारदर्शिता की समस्या और जटिल हो गई।

चित्र 2: भारतीय राजनीतिक वित्तपोषण के प्रमुख स्रोत

मानहास, कुमार और कोटवाल के अध्ययन ने 2019 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजनीतिक दलों को सीलबंद लिफाफों में चुनाव आयोग के समक्ष विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश से लेकर 2024 के अंतिम निर्णय तक की न्यायिक यात्रा का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है, तथा यह रेखांकित किया कि सत्तारूढ़ दल को घोषित बॉन्ड का लगभग अड़सठ प्रतिशत प्राप्त हुआ, जबकि छोटे एवं क्षेत्रीय दलों को अत्यंत सीमित हिस्सा मिला।

कुमार के अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि चुनावी बॉन्ड योजना ने काले धन पर नियंत्रण के अपने घोषित उद्देश्य के विपरीत दानदाता की गुमनामी को वैधानिक संरक्षण देकर जवाबदेही की संरचना को क्षति पहुंचाई। इसी प्रकार गुप्ता और अग्रवाल के हालिया विश्लेषण में यह तर्क दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने भले ही तात्कालिक विवाद का समाधान कर दिया हो, किंतु दीर्घकालिक स्तर पर वैकल्पिक वित्तपोषण मॉडल की आवश्यकता आज भी अनुत्तरित है, जिसके लिए तुलनात्मक अंतरराष्ट्रीय अनुभवों से सीख ली जानी चाहिए।

इन अध्ययनों के समवेत निष्कर्ष यह दर्शाते हैं कि भारतीय राजनीतिक वित्त व्यवस्था की केंद्रीय समस्या केवल किसी एक योजना तक सीमित नहीं, अपितु प्रकटीकरण, प्रवर्तन और संस्थागत स्वतंत्रता से जुड़ी संरचनात्मक कमजोरियों में निहित है।

भारत में राजनीतिक वित्तपोषण का विधिक एवं ऐतिहासिक ढांचा

भारत में राजनीतिक वित्तपोषण का विनियमन मुख्यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 13ए, तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 182 के माध्यम से होता है। कंपनी अधिनियम की मूल धारा 182 में कॉर्पोरेट दान की सीमा विगत तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ के साढ़े सात प्रतिशत तक निर्धारित थी, तथा कंपनियों को यह घोषित करना अनिवार्य था कि उन्होंने किस दल को कितनी राशि दान की है। परंतु 2017 के वित्त विधेयक के माध्यम से इस सीमा को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और कंपनियों को दल-वार विवरण देने की बाध्यता से भी मुक्त कर दिया गया, जिससे घाटे में चल रही अथवा नवगठित कंपनियों के लिए भी असीमित राजनीतिक दान संभव हो गया।

इसी अवधि में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम में पूर्वव्यापी प्रभाव से संशोधन करते हुए विदेशी स्वामित्व वाली भारतीय कंपनियों को भी घरेलू स्रोत के रूप में पुनर्परिभाषित किया गया, जिससे पचास प्रतिशत से अधिक विदेशी हिस्सेदारी वाली कंपनियां भी राजनीतिक दलों को दान देने में सक्षम हो गईं। विधि आयोग ने अपनी 255वीं रिपोर्ट, जो 2015 में प्रस्तुत की गई थी, में यह स्पष्ट रूप से रेखांकित किया कि चुनावी वित्तपोषण में अपारदर्शिता बड़े दानदाताओं द्वारा सरकार पर प्रभाव और नियंत्रण की स्थिति उत्पन्न करती है, तथा चुनाव व्यय के अल्प-प्रतिवेदन एवं राजनीतिक अंशदान की अस्पष्टता को इस समस्या का मूल कारण बताया।

इससे पूर्व 1998 में गठित इंद्रजीत गुप्त समिति ने चुनावों के राज्य वित्तपोषण की सीमित एवं वस्तु-रूप में सिफारिश की थी, जबकि विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट (1999) तथा 255वीं रिपोर्ट (2015), दोनों ने सशक्त विनियामक ढांचे के साथ आंशिक राज्य वित्तपोषण का समर्थन किया। इन अनुशंसाओं के बावजूद व्यवहार में कोई ठोस विधायी कार्रवाई नहीं हो सकी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सुधार की सबसे

© 2026. This article is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

Vol. 14, Issue 07, July: 2026
ISSN(P) 2347-5404 ISSN(O)2320 771X

बड़ी बाधा यह है कि सुधारक और सुधार का विषय एक ही राजनीतिक वर्ग है, अर्थात इसमें अंतर्निहित हितों का टकराव विद्यमान है।

चुनावी बॉन्ड योजना: संरचना, विवाद एवं सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

चुनावी बॉन्ड योजना 2018 में भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं के माध्यम से प्रारंभ की गई थी। इसके अंतर्गत कोई भी भारतीय नागरिक अथवा कंपनी एक हजार रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये तक के मूल्यवर्ग में ब्याज-रहित बॉन्ड खरीद सकती थी और पंद्रह दिनों के भीतर इसे किसी भी पात्र राजनीतिक दल के बैंक खाते में जमा करा सकती थी। योजना की विशेषता यह थी कि बॉन्ड खरीदने वाले व्यक्ति या संस्था का नाम बैंक के अतिरिक्त किसी को भी, यहां तक कि प्राप्तकर्ता दल को भी, ज्ञात नहीं होता था।

इस अपारदर्शिता के विरुद्ध एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स सहित अन्य याचिकाकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि यह योजना मतदाताओं के सूचना के अधिकार का हनन करती है और गुमनाम कॉर्पोरेट दान के माध्यम से नीति-निर्माण में अनुचित प्रभाव की आशंका उत्पन्न करती है। फरवरी 2024 में मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने एकमत से इस योजना को असंवैधानिक घोषित किया और भारतीय स्टेट बैंक को समस्त बॉन्ड लेनदेन का विवरण भारत निर्वाचन आयोग को सौंपने तथा आयोग को इसे सार्वजनिक करने का निर्देश दिया।

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि दानदाता की गुमनामी बनाए रखने का कोई भी उपाय, चाहे वह काले धन पर अंकुश के उद्देश्य से ही क्यों न हो, नागरिकों के जानने के अधिकार पर तब तक अनुपातहीन प्रतिबंध माना जाएगा जब तक कि उसके विकल्प के रूप में समान रूप से प्रभावी किंतु कम प्रतिबंधात्मक उपाय उपलब्ध न हों। इस निर्णय के परिणामस्वरूप सार्वजनिक हुए आंकड़ों से यह उजागर हुआ कि अनेक कंपनियों ने प्रवर्तन एजेंसियों की जांच के दौरान अथवा तुरंत पश्चात राजनीतिक दलों को दान दिया, जिससे कुछ विश्लेषकों ने इसे परोक्ष रूप से दबाव में दिए गए दान अथवा प्रतिशोध से बचने के प्रयास के रूप में व्याख्यायित किया।

यह निर्णय भारतीय चुनावी न्यायशास्त्र में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने पहली बार यह न्यायिक रूप से स्थापित किया कि राजनीतिक वित्तपोषण में पारदर्शिता केवल एक नीतिगत वरीयता नहीं, अपितु अनुच्छेद 19(1)(क) के अंतर्गत एक प्रवर्तनीय मौलिक अधिकार है। साथ ही यह भी स्पष्ट हो गया कि योजना के निरस्त होने से पूर्व की स्थिति, अर्थात बीस हजार रुपये से कम के दान की गुमनामी, अब भी यथावत बनी हुई है, जिससे समस्या का पूर्ण समाधान अभी शेष है।

अनुभवजन्य साक्ष्य: अज्ञात स्रोतों की सीमा

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा राजनीतिक दलों के वार्षिक अंकेक्षित विवरणों तथा निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत अंशदान रिपोर्टों के विश्लेषण से प्राप्त आंकड़े इस समस्या की गंभीरता को स्पष्ट रूप से रेखांकित करते हैं। संगठन के अनुसार वित्त वर्ष 2004-05 से 2022-23 के मध्य राष्ट्रीय दलों ने कुल उन्नीस हजार तिरासी करोड़ रुपये से अधिक की राशि अज्ञात स्रोतों से एकत्र की। वित्त वर्ष 2022-23 में ही राष्ट्रीय दलों की कुल आय का लगभग साठ प्रतिशत अज्ञात स्रोतों से प्राप्त हुआ, जिसमें से लगभग बयासी प्रतिशत भाग अकेले चुनावी बॉन्ड से आया।

इसी प्रकार वित्त वर्ष 2021-22 के लिए एडीआर के विश्लेषण के अनुसार सात राष्ट्रीय दलों की कुल आय का छियासठ प्रतिशत से अधिक भाग अज्ञात स्रोतों से प्राप्त हुआ था, जिसमें तिरासी प्रतिशत का योगदान चुनावी बॉन्ड का था। क्षेत्रीय दलों की स्थिति इससे भी अधिक चिंताजनक रही है, क्योंकि इसी अवधि में सत्ताईस क्षेत्रीय दलों की पचहत्तर प्रतिशत से अधिक आय अज्ञात स्रोतों से आई, जो पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाती है।

वर्ष 2016-17 में प्रकाशित एक पूर्व एडीआर विश्लेषण में यह भी सामने आया था कि 2004-05 से 2014-15 के दशक में राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों की कुल आय में से उनहत्तर प्रतिशत भाग अज्ञात स्रोतों से आया, तथा इस दशक में राष्ट्रीय दलों की अज्ञात आय में तीन सौ तेरह प्रतिशत और क्षेत्रीय दलों की अज्ञात आय में छह सौ बावन प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यह दीर्घकालिक प्रवृत्ति दर्शाती है कि अपारदर्शिता की समस्या चुनावी बॉन्ड योजना से पूर्व भी विद्यमान थी, और बॉन्ड योजना ने इसे केवल एक वैधानिक स्वरूप प्रदान करते हुए और अधिक व्यापक बना दिया।

इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि बीस हजार रुपये से कम की दान सीमा वाला प्रावधान, जिसके अंतर्गत दलों को दानदाता का नाम प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होती, वास्तविक अपारदर्शिता का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है। चुनावी बॉन्ड योजना के निरस्त होने के पश्चात भी यह प्रावधान अपरिवर्तित है, जिसका अर्थ है कि दल पुनः छोटे-छोटे अंशदानों में अपनी आय को विभाजित कर वास्तविक दानदाताओं की पहचान छुपाने में सक्षम बने रह सकते हैं।

तुलनात्मक अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस के राजनीतिक वित्त डेटाबेस के अनुसार विश्व के एक सौ अस्सी से अधिक देशों में किसी न किसी रूप में राजनीतिक धन के प्रवाह को विनियमित करने वाले प्रावधान विद्यमान हैं, तथापि लगभग बीस प्रतिशत देशों में वित्तीय विवरणों को सार्वजनिक करने की अनिवार्यता नहीं है, जिससे नागरिक समाज द्वारा निगरानी की क्षमता गंभीर रूप से सीमित हो जाती है। संस्था के अनुसार विश्व स्तर पर छिहत्तर प्रतिशत से अधिक देशों में

© 2026. This article is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

Vol. 14, Issue 07, July: 2026
ISSN(P) 2347-5404 ISSN(O)2320 771X

दलों को नियमित रूप से अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने होते हैं, जबकि यूरोपीय देशों में यह अपेक्षाकृत सर्वाधिक कठोर है।

इंटरनेशनल आईडीईए की एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार सर्वेक्षित एक सौ इक्यासी देशों में से अट्ठाईस प्रतिशत देशों में अब भी विदेशी दान पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, तथा पच्चीस प्रतिशत देशों में गुमनाम दान की अनुमति है, जो यह दर्शाता है कि भारत की समस्या पूर्णतः अनोखी नहीं, अपितु वैश्विक स्तर पर व्याप्त एक व्यापक चुनौती का ही एक रूप है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ज्ञान केंद्र में प्रकाशित विषय मार्गदर्शिका में यह रेखांकित किया गया है कि प्रभावी विनियमन के लिए स्वतंत्र संस्थाओं द्वारा सत्यापन तथा उपयोगकर्ता-अनुकूल ऑनलाइन प्रारूप में सार्वजनिक उपलब्धता आवश्यक है, अन्यथा प्रकटीकरण की औपचारिकता मात्र से वास्तविक जवाबदेही सुनिश्चित नहीं होती।

भारत की स्थिति की तुलना में कई विकसित लोकतंत्रों में दल-स्तरीय एवं उम्मीदवार-स्तरीय दोनों प्रकार के व्यय का नियमित, सत्यापित एवं सार्वजनिक रूप से सुलभ प्रकटीकरण अनिवार्य है। भारत में इसके विपरीत निर्वाचन आयोग को दलों की वार्षिक अंशदान रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात भी बीस हजार रुपये से कम के दानदाताओं का विवरण कभी सार्वजनिक नहीं होता, जिससे तुलनात्मक दृष्टि से भारतीय प्रणाली प्रकटीकरण की गुणवत्ता में पीछे प्रतीत होती है।

पारदर्शिता की प्रमुख चुनौतियाँ

प्रथम चुनौती यह है कि बीस हजार रुपये से कम के दान की अनिवार्य प्रकटीकरण से छूट का प्रावधान अब भी विद्यमान है, जिसका दुरुपयोग करते हुए दल अपनी आय को छोटे-छोटे भागों में विभाजित कर घोषित करते रहते हैं। द्वितीय चुनौती यह है कि निर्वाचन आयोग के पास दलों द्वारा प्रस्तुत वित्तीय विवरणों की स्वतंत्र लेखा-परीक्षा करने की सीमित संस्थागत क्षमता है, जिससे घोषित आंकड़ों की सत्यता का सत्यापन कठिन हो जाता है।

तृतीय चुनौती के रूप में सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 का राजनीतिक दलों पर प्रत्यक्ष प्रवर्तन न होना उल्लेखनीय है। केंद्रीय सूचना आयोग ने 2013 में एक निर्णय के माध्यम से राष्ट्रीय दलों को सार्वजनिक प्राधिकरण मानते हुए आरटीआई के दायरे में लाने का प्रयास किया था, किंतु दलों ने इस निर्णय का व्यवहारतः अनुपालन नहीं किया, और इस विषय पर विधायी स्पष्टता आज भी अनुपस्थित है। चतुर्थ चुनौती चुनाव व्यय की सीमा और वास्तविक व्यय के मध्य के अंतराल से संबंधित है, जिसमें उम्मीदवारों द्वारा प्रचार व्यय का अल्प-प्रतिवेदन एक सर्वविदित किंतु शायद ही कभी दंडित होने वाली प्रवृत्ति है।

पांचवीं चुनौती संस्थागत है, अर्थात सुधार की प्रक्रिया में स्वयं राजनीतिक वर्ग ही निर्णायक की भूमिका में रहता है, जिससे हितों का टकराव अपरिहार्य हो जाता है। जब भी किसी घोटाले के उजागर होने पर जनाक्रोश उत्पन्न होता है, समितियों का गठन कर सुझाव तो प्राप्त कर लिए जाते हैं, किंतु उन सुझावों को विधायी रूप देने की राजनीतिक इच्छाशक्ति प्रायः अनुपस्थित रहती है, जैसा कि विधि आयोग की 170वीं और 255वीं रिपोर्टों की सिफारिशों के लंबित रहने से स्पष्ट है।

सुधार के प्रस्ताव

पहला प्रस्ताव आंशिक राज्य वित्तपोषण की स्थापना है, जिसकी सिफारिश इंद्रजीत गुप्त समिति और विधि आयोग दोनों ने की थी। इसके अंतर्गत मतों की संख्या के अनुपात में दलों को सार्वजनिक कोष से सीमित, अनिवार्य लेखा-परीक्षा के अधीन सहायता प्रदान की जा सकती है, जिससे कॉर्पोरेट अंशदान पर निर्भरता घटाई जा सकती है, यद्यपि इसके लिए कठोर व्यय-सीमा प्रवर्तन आवश्यक होगा।

दूसरा प्रस्ताव एक राष्ट्रीय चुनावी न्यास की स्थापना का है, जिसमें समस्त दानदाता एक साझा, स्वतंत्र रूप से प्रबंधित कोष में योगदान करें, और उस कोष से राशि सभी पात्र दलों को उनके प्राप्त मतों के अनुपात में वितरित की जाए। इससे दानदाता की पहचान गुप्त रहते हुए भी विशिष्ट दल के साथ प्रत्यक्ष सांठगांठ की संभावना समाप्त हो जाती है।

तीसरा प्रस्ताव बीस हजार रुपये की प्रकटीकरण-मुक्त सीमा को घटाकर अथवा पूर्णतः समाप्त कर सभी दानों के डिजिटल, वास्तविक-समय प्रकटीकरण को अनिवार्य बनाना है। भारतीय स्टेट बैंक और निर्वाचन आयोग की समन्वित डिजिटल प्रणाली, जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद पहले से आंशिक रूप से क्रियाशील है, को स्थायी विधायी आधार देकर प्रत्येक दान को वार्षिक विवरण की प्रतीक्षा किए बिना तत्काल सार्वजनिक किया जा सकता है।

चौथा प्रस्ताव कंपनी अधिनियम की धारा 182 में हटाई गई साढ़े सात प्रतिशत लाभ-सीमा तथा दल-वार प्रकटीकरण की अनिवार्यता को पुनर्स्थापित करना है, ताकि घाटे में चल रही अथवा शेल कंपनियों के माध्यम से होने वाले दान पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। पांचवां प्रस्ताव राजनीतिक दलों को औपचारिक रूप से सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में लाने के लिए स्पष्ट विधायी संशोधन करना है, जिससे केंद्रीय सूचना आयोग के 2013 के निर्णय को व्यवहार में प्रभावी बनाया जा सके।

अंततः, निर्वाचन आयोग को दलों के वित्तीय विवरणों की स्वतंत्र लेखा-परीक्षा करने की शक्ति और संसाधन प्रदान करना तथा गैर-अनुपालन पर कठोर, स्वचालित दंड का प्रावधान करना आवश्यक है। इंटरनेशनल आईडीईए के तुलनात्मक अनुभव यह दर्शाते हैं कि प्रभावी प्रवर्तन तंत्र के अभाव में केवल प्रकटीकरण संबंधी कानून बना देने से पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं होती।

निष्कर्ष

भारत में राजनीतिक वित्तपोषण की पारदर्शिता का प्रश्न केवल चुनावी बॉन्ड योजना तक सीमित नहीं है, अपितु यह प्रकटीकरण नियमों,

© 2026. This article is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

संस्थागत प्रवर्तन क्षमता और राजनीतिक इच्छाशक्ति के अंतर्संबंधों से जुड़ी एक व्यापक संरचनात्मक चुनौती है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित किया जाना निस्संदेह एक महत्वपूर्ण न्यायिक हस्तक्षेप है, जिसने सूचना के अधिकार को राजनीतिक वित्तपोषण के संदर्भ में एक प्रवर्तनीय मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया। तथापि एडीआर के आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि बीस हजार रुपये से कम के दान की गुमनामी जैसे मूल प्रावधान अब भी अपरिवर्तित हैं, जिससे दलों के पास अपनी आय के बड़े भाग को अज्ञात स्रोतों में दर्शाने की गुंजाइश बनी हुई है।

अतः यह आवश्यक है कि विधायिका, निर्वाचन आयोग और नागरिक समाज संयुक्त रूप से राज्य वित्तपोषण, राष्ट्रीय चुनावी न्यास, वास्तविक-समय डिजिटल प्रकटीकरण, कॉर्पोरेट दान सीमा की पुनर्स्थापना, तथा दलों पर सूचना के अधिकार के प्रभावी प्रवर्तन जैसे बहुआयामी सुधारों को साथ-साथ लागू करें। तुलनात्मक अंतरराष्ट्रीय अनुभव यह भी स्मरण कराते हैं कि केवल कानून बना देना पर्याप्त नहीं, अपितु स्वतंत्र सत्यापन एवं सुसंगत प्रवर्तन के बिना पारदर्शिता की कोई भी विधायी पहल प्रभावहीन सिद्ध होगी। भारतीय लोकतंत्र की दीर्घकालिक सुदृढ़ता इसी बात पर निर्भर करेगी कि क्या हम राजनीतिक वित्त में वास्तविक, सत्यापन-योग्य एवं समयबद्ध पारदर्शिता स्थापित कर पाते हैं।

संदर्भ सूची

- George, A. S. (2024). भारत में चुनावी बॉन्ड की असंवैधानिक प्रकृति: राजनीतिक पारदर्शिता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर प्रभाव। *Partners Universal Innovative Research Publication*, 2(1), 150–160. https://doi.org/10.5281/zenodo.10676538
- *IOSR Journal of Humanities and Social Science.* (2021). भारत में चुनावी बॉन्ड योजना का संवैधानिक एवं राजनीतिक अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से विश्लेषण। *IOSR-JHSS*, 26(1), Series-1, 31–39.
- Srivastava, A., & Chadha, S. K. (2025). भारत में चुनावी बॉन्ड एवं राजनीतिक वित्तपोषण: पारदर्शिता, भ्रष्टाचार और लोकतांत्रिक निहितार्थ। *European Economic Letters*, 15(1), 377–384. https://doi.org/10.52783/eel.v15i1.2408
- *CMR School of Legal Studies Journal.* (2025). चुनावी बॉन्ड की पहेली का अनावरण: भारत के राजनीतिक वित्तपोषण पर गुमनामी का आवरण। *CMR University Journal.*
- Manhas, E., Kumar, R., & Kotwal, P. (2025). चुनावी बॉन्ड और भारतीय राजनीति में पारदर्शिता का प्रश्न। *South Eastern European Journal of Public Health*, 26(S1).
- Kumar, R. (2024). भारत में चुनावी बॉन्ड को समझना: पारदर्शिता या अस्पष्टता? *Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education*, 2(4), 34–56.
- Gupta, A. K., & Agrawal, S. K. (2025). चुनावी बॉन्ड एवं राजनीतिक वित्तपोषण: एक समालोचनात्मक मूल्यांकन। *Indian Journal of Public Administration.* https://doi.org/10.1177/00195561251405017
- एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR). (2023). भारत की राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों की 66% आय 'अज्ञात स्रोतों' से प्राप्त हुई: एडीआर रिपोर्ट। ADR India.
- एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR). (2024). राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की आय का बड़ा हिस्सा 'अज्ञात स्रोतों' से प्राप्त हुआ। ADR India.
- एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR). (2017). राजनीतिक दलों की 69% धनराशि 'अज्ञात स्रोतों' से प्राप्त हुई। ADR India.
- एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR). (2023). क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की 75% से अधिक आय 'अज्ञात स्रोतों' से प्राप्त हुई। *The Wire*, 18 मई 2023 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार।
- भारत का विधि आयोग। (2015). रिपोर्ट संख्या 255: निर्वाचन सुधार। विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार।
- भारत का विधि आयोग। (1999). रिपोर्ट संख्या 170: निर्वाचन कानूनों में सुधार। विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार।
- Jain, A. (2024). भारत में अपारदर्शी चुनावी वित्तपोषण की राजनीति: सर्वोच्च न्यायालय के चुनावी बॉन्ड निर्णय का विश्लेषण। *Verfassungsblog.*
- इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस (International IDEA). (2023). राजनीतिक वित्तपोषण डेटाबेस। International Institute for Democracy and Electoral Assistance.
- इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस (International IDEA). (2024). राजनीतिक वित्तपोषण में भ्रष्टाचार से मुकाबला: वैश्विक प्रवृत्तियाँ, चुनौतियाँ और समाधान। International Institute for Democracy and Electoral Assistance.
- ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नॉलेज हब। (2022). राजनीतिक वित्तपोषण पर विषय मार्गदर्शिका। Transparency International.
- चुनावों के राज्य वित्तपोषण पर समिति (इंद्रजीत गुप्ता समिति)। (1998). चुनावों के राज्य वित्तपोषण पर समिति की रिपोर्ट। भारत सरकार।

© 2026. This article is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).